न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

(32)

पीठासीन अधिकारी :–मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्याः– 60/दावा/2018

1. रतना आयु 70 वर्ष आ0 उददा
2. लछमन आयु 62 वर्ष आ0 उददा
3. देव्या आयु 60 वर्ष आ0 उद्दा
4. मडया आयु 55 वर्ष आ0 उद्दा
5. दुर्गालाल आयु 33 वर्ष आ0 श्रीकिशन
6. नेवा आयु 28 वर्ष आ0 श्रीकिशन
7. भोजा आयु 25 वर्ष आ0 श्रीकिशन
8. रामहोशियार आयु 20 वर्ष आ0 श्रीकिशन
9. गटू आयु 40 वर्ष पुत्री श्रीकिशन
10. भोजी आयु 27 वर्ष पुत्री श्रीकिशन
11. जशोदी आयु 16 वर्ष पुत्री श्रीकिशन नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मन्नी बेवा श्रीकिशन
12. मन्नी आयु 60 वर्ष बेवा श्रीकिशन
13. मोरपाल आयु 36 वर्ष आ0 रामेश्वर जातियान गुर्जर निवासीगण ग्राम बोरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी, राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब, तहसील हिण्डोली जिला बून्दी, राज0

प्रतिवादीगण

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 30/03/2020

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी गण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 रा0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि भूमि खसरा संख्या 234/421 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 270 रकबा 2 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 271 रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 272 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 274 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 275 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 276 रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 1 बीस्वा वाके ग्राम बोरदा पटवार क्षेत्र आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जो राजस्व रिकॉर्ड में रतना, लक्ष्मन वगेरा के खाते दर्ज है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं खातेदार नारायण पुत्र रामसुख जाति गुर्जर

ी कुन्हाडी का हिस्सा 1/2 दर्ज है। खातेदार नारायण का स्वर्गवास लाओआद हो का है। खातेदार नारायण द्वारा अपनी 1/2 हिस्से की आराजी के बाबत एक बेचाननामा दिनांक 15.04.1960 को वादीगण के पूर्वज उद्दा पुत्र श्री श्रवण गुर्जर के हक में निष्पादित कर कब्जा संभला दिया था तभी से वादीगण के पूर्वज उद्दा जी खरीद की गई भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थें। वादीगण के मूल पुरूष उद्दा जी का स्वर्गवास हो चुका है। उददा जी के स्वर्गवास होने के पश्चात वादीगण खरीदशुदा भूमि पर बिना किसी रूकावट के खुल्लम खुल्ला रूप से विरोधी आधिपत्य रखते हुये अनवरत रूप से बेरोक टोक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस आधार पर वादीगण के हक में उक्त भूमि पर स्वामी के रूप में काबिज रहने का अधिकार काफी समय पूर्व ही पैदा हो गया है। खातेदार नारायण लाऔलाद फौत हो जाने पर एक व्यक्ति कल्याण ने अपने आपको वारिस बताते हुये मूल खातेदार नारायण के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया था। उक्त नामान्तरण को निरस्त करने हेतु अपील वादीगण ने प्रस्तुत की थी जिसका निर्णय दिनांक 21.09.1987 को हो चुका है। निर्णय के आधार पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी द्वारा वादीगण की अपील को स्वीकार करते हुये इंतकाल नम्बर 90 को निरस्त करने का आदेश दे दिया था। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बून्दी द्वारा उक्त अपील को वादीगण के पूर्वज उद्दा के पक्ष में हुये बेचान के तथ्य को अधिकार मानते हुये, स्वीकार कर नामान्तरण निरस्त किया था। कल्याण द्वारा एक दावा भी वादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2008 को खारिज किया जा चुका है। जिलाधीश महोदय के द्वारा अपील में दिये गये निर्णय से इस बात की पुष्टि होती है कि मूल खातेदार नारायण द्वारा अपना 1/2 हिस्सा बेचान कर दिया था और बेचान के साथ साथ ही तत्कालीन केता खातेदार को कब्जा दे दिया था। मूल खरीददार के देहान्त के पश्चात वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। न्यायालय के निर्णय से भी वादीगण के कब्जे की पुष्टि होती है। वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नही है। यदि किसी कारणवंश किसी व्यक्ति का अधिकार माना भी जावे तो समय गुजरने के साथ साथ ही उक्त अधिकार समाप्त हो गये है। वादीगण उक्त खरीद शुद्वा भूमि के कानूनी रूप से खातेदार बन चुके है। राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में मूल खातेदार नारायण आ0 रामसुख का 1/2 हिस्सा अंकित चला आ रहा है। नारायण का नाम खाते में रहने से वादीगण के हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। जो अधिकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में खातेदार को होते है उनके उपयोग उपभोग करने से वंचित रहते है। इसी दौरान मूल खातेदार व वादीगण की सम्पूर्ण जमीन लघु सिंचाई योजना बडानयागांव बांध निर्माण के लिये अवाप्त कर ली गई है जिसकी मुआवजा राशि वितरण की जानी है जिसे वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि वादीगण के खाते अंकित करने के लिये कई बार राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया, उनके द्वारा भूमि वादीगण के खाते अंकित नही करने पर वादीगण की ओर से दिनांक 12.01.2018 को पंजीकृत नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी

(35)

मान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय बून्दी एवं प्रतिवादी को भेजा था। उक्त नोटिस दिनांक 12.01.2018 को तहसीलदार हिण्डोली व दिनांक 15.01.2018 को जिला कलक्टर महोदय बून्दी को प्राप्त हो गया है। उक्त नोटिस भेजकर उक्त भूमि में से नारायण नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार कृषक अंकित करने की प्रार्थना की थी। नोटिस के साथ दस्तावेज भी भेज दिये गये थे लेकिन कानूनी नोटिस प्राप्ति से निश्चत 02 माह की अवधि निकल जाने के बाद भी वादीगण के खाते भूमि अंकित नही की। यही वाद कारण है। वाद कारण वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में से नारायण का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वादीगण का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित नही करने, नोटिस प्राप्ति के बाद भी नही करने से लगातार उत्पन्न हो रहा है। अतः वाद अन्दर अवधि प्रस्तुत है। प्रतिवादी को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है एवं धारा 80 सीपीसी का नोटिस पूर्व में दिया गया है। भूमियॉ श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थिति होने से माननीय न्यायालय को वाद श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद का मूल्याकंन 5000/— रूपये पर निश्चित किया जाकर निर्धारित न्याय शुल्क 2/— रूपये व तलबाने पर वाद प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री वाद व्यय सहित प्रदान की जावें — वादीगण को आराजी खसरा संख्या 234/421 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 270 रकबा 2 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 271 रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 272 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 274 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 275 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 276 रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 1 बीस्वा वाके ग्राम बोरदा पटवार क्षेत्र आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में से नारायण के 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम नारायण के स्थान पर खातेदार के रूप में अमल दरामद फरमाया जावे एवं लघु सिंचाई योजना बडानयागांव के तहत अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि वादीगण को दिलाई जावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो भी दिलायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दि0 13.06.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र PW 1 देब्या उर्फ देवीलाल गुर्जर, PW 2 मथरालाल गुर्जर, PW 3 मोरपाल गुर्जर पेश किये है साथ ही जमाबंदी खाता संख्या 77 ग्राम बोरदा नकल प्रदर्श—1, प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 29.07.1989 बउनवान कल्याण बनाम रामेश्वर न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय बून्दी) नकल प्रदर्श—2, प्रताणित प्रति ऑर्डर सीट प्रकरण संख्या 18/प्रा0पत्र/86 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली बउनवान कल्याण बनाम रामेश्वर प्रदर्श—3, छायाप्रति मिसल संख्या 36/86 न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी निर्णय दिनांक 21.09.1987 बउनवान रामेश्वर बनाम

प्रदर्श–4, छायाप्रति नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी0पी0सी0 दिनांक 12.01.2018 र्श–5, रजिस्टर्ड डाक रसीद दिनांक 12.01.2020 प्रदर्श–6 व प्रदर्श–7, पावती रसीद जिला कलक्टर एवं तहसीलदार प्रदर्श–8 व प्रदर्श–9, असल बयनामा दिनांक 15.04.1960 द्वारा नारायणी गुर्जर प्रदर्श–10 पेश किये है साथ ही वाद पत्र के समर्थन में देब्या उर्फ देबीलाल गुर्जर, मोरपाल गुर्जर के बयान दर्ज करवाये गयें।

हमने प्रकरण पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों कों दोहराते हुये कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 234/421 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 270 रकबा 2 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 271 रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 272 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 274 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 275 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 276 रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 1 बीस्वा वाके ग्राम बोरदा पटवार क्षेत्र आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। इसके पूर्व खातेदार वादीगण के पूर्वज व नारायण गुर्जर था। नारायण आ0 सुखदेव गुर्जर निवासी कुन्हाडी कोटा का विवादित भूमियों में 1/2 हिस्सा निहित था नारायण की मृत्यु हो चुकी है। नारायण ने अपने जीवनकाल में ही वादी के पूर्वज उदा गुर्जर को अपने हिस्से की भूमि बेचान कर दी थी जिसका बेचाननामा प्रदर्श–10 प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि पर नारायण के जीवनकाल से ही वादीगण के पूर्वजों का व उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह कि नारायण के लाऔलाद फोत हो जाने से एक व्यक्ति कल्याण द्वारा उसको अपना वारिस बताते हुये इन्तकाल नम्बर 90 से अपना नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवा लिया था जिसकों न्यायालय जिला कलक्टर महोदय बून्दी द्वारा दिनांक 21.09.1987 को निरस्त कर दिया है। यह तथ्य हमने वाद पत्र के चरण संख्या 3 में अंकित किया है। इसके बाद कल्याण ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दावा संख्या 17/1986 न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) बून्दी के यहां बउनवान कल्याण बनाम रामेश्वर प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 27.03.2008 को खारिज किया जा चुका है। भूमियों को नारायण जी द्वारा बेचान करने के उपरान्त हमारे पूर्वजों का व वर्तमान में हमारा निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमियां वर्तमान में बडानयागांव लघु सिचाई परियोजना में अवाप्त कर ली गई है। अतः हमें बेचाननामें के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर अवाप्त भूमियों का मुआवजे का भुगतान किया जावें।

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि खसरा संख्या 234/421 रकबा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 270 रकबा 2 बीघा 15 बीस्वा, खसरा संख्या 271 रकबा 1 बीघा 13 बीस्वा, खसरा संख्या 272 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 274 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा, खसरा संख्या 275 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 276 रकबा 2 बीघा 2 बीस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 12 बीघा 1 बीस्वा वाके ग्राम बोरदा पटवार क्षेत्र आकोदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जिनके पूर्व खातेदार वादीगण के पूर्वज व नारायण आ0 रामसुख गुर्जर हिस्सा 1/2 दर्ज रिकोर्ड

(36)

क्त भूमियों में निहित नारायण के हिस्से को उसके द्वारा दिनांक 15.04.1960 को गण के पूर्वज उदा आ0 श्रवण गुर्जर को बेचान कर दिया था जिस पर नारायण के जीवनकाल से ही वे काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे काश्त बाबत कोई साक्ष्य पेश नही किये है, केवल शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भूमियों पर निरन्तर कब्जा काश्त प्रमाणित नही होता है। वादीगण द्वारा उनके पूर्वज को किये गये बेचाननामें के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा चाही गई है जो कि अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड बेचाननामें के आधार पर खातेदारी बाबत वाद डिक्री किया जाना विधि द्वारा वर्जित है।

अतः वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली